

कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट, सदर गाजीपुर।

संख्या 233 / आओल

दिनांक 16 अप्रैल 2021

आदेश

उपरोक्त शासन शासक अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या 195/एक-11-2000-रा011 दिनांक 24.03.2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 संपठित उ0प्र0 आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-2 उपधारा(जी) के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को "आपदा" घोषित किया गया है।

उपरोक्त महामारी फैलाव के संक्रमण से फैल रही है, इसके रोकथाम हेतु अपनाये जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय मानकों में यह भी सम्मिलित है कि लाकडाउन के दौरान विभिन्न राज्यों एवं जनपदों से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया जाये तथा कोविड-19 अस्पताल की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये। इस सम्बन्ध में कोविड-19 के मरीजों की मर्ती एवं उपचार हेतु जनपद गाजीपुर में स्थित प्राइवेट मेडिकल कालेज/हॉस्पिटल एवं शिक्षण संस्थान की आवश्यकता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 2 उपधारा(जी) संपठित धारा 65 के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी के कारण शम्मे गौसिया पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक/यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, सहेडी गाजीपुर को अधिग्रहित किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या 548/पांच-5-2020 दिनांक 14.03.2020 के प्रस्तर 12 में प्रदत्त शक्ति के अनुप्रयोग एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन में मैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह, उपजिला मजिस्ट्रेट, सदर गाजीपुर निर्देशित करता हूँ कि निम्न विवरण के अनुसार शम्मे गौसिया पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक/यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, सहेडी, गाजीपुर को आवश्यकतानुसार मानव संसाधन (जो कि समय-समय पर अवगत कराया जायेगा) प्रबन्धन, व्यवस्थापन तथा फर्नीचर, शौचालय, परिसर एवं अन्य सभी उपकरणों (जनरेटर सहित) व सामग्रियों सहित उपलब्ध सम्पत्ति के बचाव एवं इसके प्रसार को रोकने की तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत अधिग्रहित किया जाता है तथा प्रस्तर-12 के प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में आदेशित करता हूँ कि सम्बन्धित थाना प्रभारी उपर्युक्त परिसर की सुरक्षा एवं अध्यासियों के कर्तव्य निर्वहन हेतु आवागमन की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे-

क्रम	संस्था का नाम	अधिग्रहित कर अभिरक्षा प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम	हस्ताक्षर एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु उत्तरदायी अधिकारी
1	शम्मे गौसिया पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक/यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, सहेडी	श्री मुकेश कुमार सिंह, तहसीलदार- सदर, गाजीपुर	थाना प्रभारी नन्दमज, गाजीपुर

इस आदेश के अनुपालन में कोई अवरोध करना राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम- 2005 की धारा- 51 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से करना सुनिश्चित किया जाये। अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही अथवा इससे उत्पन्न विफलता को उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या 548/पांच-5-2020 दिनांक 14.03.2020 एवं भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 40-3-2020-DM-1(A) दिनांकित 26.03.2020 का उल्लंघन करने पर उत्तरदायित्व नियत किया जायेगा।

(अनिरुद्ध प्रताप सिंह)
उपजिला मजिस्ट्रेट
सदर गाजीपुर।

प्रतिलिपि-

- 1- जिलाधिकारी महोदय, गाजीपुर को सादर सूचना प्रेषित।
- 2- पुलिस अधीक्षक महोदय, गाजीपुर को सादर सूचना प्रेषित।
- 3- मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित कि कोविड-19 अस्पताल हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थायें कराना सुनिश्चित करें।
- 4- तहसीलदार सदर गाजीपुर को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 5- सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 6- प्रबन्धक शम्मे गौसिया पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक/यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, सहेडी, गाजीपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- जिला सूचना अधिकारी को समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

उपजिला मजिस्ट्रेट
सदर गाजीपुर।





ESTD : 1997
REGD : 1523

786/92/121/139



09415388196, 09450569091
09918900218, 09415269369
09415844080, 09918900202
Phone No. 0548-2223625
Fax : 0548-2223931
E-mail : sgmaumc@rediffmail.com
Website : www.shammegroup.org

SHAM-E-GHAUSIA MINORITY (S.G.M.) UNANI MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL

SAHERI, GHAZIPUR – 233302 (U.P.)

Managed By: Uttar Pradesh Samaj M. E. D. W. Sewa Samiti, Saheri, Ghazipur

Affiliated to V.B.S.P.U., JAUNPUR (Formerly Affiliated to C.S.J.M.U., KANPUR)

Recognized By: C.C.I.M. & Ministry of AYUSH, Govt. of India and Govt. of U.P.

Ref.....

Date...01/06/2021...

आवश्यक सूचना

सूचनार्थ अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या 195/एक-11-2000-सं011 दिनांक 24.03.2020 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-2 उपधारा(जी) के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को "आपदा" घोषित किया गया है।

उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या 548/पांच-5- दिनांक 14.03.2020 के प्रस्तर 12 प्रदत्त शक्ति के अनुप्रयोग एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन में श्री अनिरुद्ध प्रताप सिंह उपजिला मजिस्ट्रेट, सदर, गाजीपुर द्वारा जारी पत्र संख्या-233/आ0लि0 दिनांक 16.04.2021 द्वारा संस्था शम्मे गौसिया माइनारिटी यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सहेडी, गाजीपुर को आवश्यकतानुसार मानव संसाधन, प्रबन्धन, व्यवस्थापन तथा फर्नीचर, शौचालय, परिसर एवं अन्य सभी उपकरणों सहित उक्त संक्रमण के बचाव एवं इसके प्रसार को रोकने की तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत अधिग्रहित किया गया और अब तक संस्था को मुक्त नहीं किया गया है। संस्था कोविड-19 के उपचार व रोकथाम के लिए अब भी कोविड एल-2 सेन्टर बना हुआ है जिसकी वजह से हास्पिटल के ओपीडी/आईपीडी का डाटा प्राप्त नहीं हो पा रहा है जिसके कारण वेबसाइट पर अभी अपलोड नहीं हो सका, डाटा प्राप्त होने के पश्चात् उसे तुरन्त ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा।

(प्रो) गजनफर इमाम
प्राचार्य/अधीक्षक

Principal/Supdt.
S.G.M.Unani Medical College & Hospital
Saheri, Ghazipur-233302 (U.P.)